



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
Office of the Accountant General (A&E)-II
Uttar Pradesh, Prayagraj



पत्रांक – मिलान प्रकोष्ठ (निर्माण)/

दिनांक – 25/06/2025

सेवा में,

समस्त अधिशासी अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग .
एवं लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय – खंडीय स्तर पर मिलान के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन के बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या – 97 से 124 के तहत CCO स्तरीय मिलान किया जाना है। उक्त के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के संबन्धित विभागों के द्वारा कोषागार से प्राप्त किए गए व्यय के आंकड़ों को "IFMS Portal" के "Reconciliation Module" पर उपलब्ध कराया गया है जिसे इस कार्यालय में पुस्तान्कित आंकड़ों के साथ अपनाए गए प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। किन्तु खंडीय स्तर पर लेखाकन एवं आंकड़ों की सुविधा प्रभावी बनाये जाने हेतु खण्डीय स्तर पर भी व्ययों का मिलान किया जाना है।

अतः आगामी त्रैमासों में कोषागार द्वारा किए बजटीय व्ययों के मिलान पत्र DCL से संबंधित अनुभाग में भेजना सुनिश्चित करावें। जिससे खण्डीय स्तर पर आंकड़ों की विसंगतियों को ससमय निस्तारण कर संकलन कार्य को प्रभावी बनाया जा सके।

यह पत्र वरिष्ठ उप महालेखाकार/ निर्माण महोदय के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है

भवदीय

Digitally signed by
Rudrakant Singh

व. लेखाधिकारी/ वृत्तवर्ष (वि. एवं वि.)

Date: 25-06-2025

पत्रांक – मिलान प्रकोष्ठ (निर्माण)/

तददिनांक – 12:34:36

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

- 1.) समस्त वरिष्ठ खंडीय लेखाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि पत्र को अधिशासी अभियंता को प्राप्त कराते हुए आवश्यक अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
- 2.) सहायक लेखाधिकारी/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ को कार्यालय के साइट पर अपलोड करने हेतु।

Digitally signed by
Anand Tiwari

Date: 25-06-2025

स. लेखाधिकारी/ वृत्तवर्ष (वि. एवं वि.)

12:44:13